7 राजनीति में महिलाओं की भूमिका (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

Kirti Naga*
Research Scholar.

*Corresponding Author: kirtinaga1994@gmail.com

सार

हमारे भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे पुरुष हो या महिला उन्हें समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसी कारण आज के समय में महिलाऐं सक्रिय रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। राजनीति में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता उनके सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। राजनीतिक सशक्तिकरण से तात्पर्य शासन सत्ता में सक्रिय भागीदारी, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता से है। प्रस्तुत शोध आलेख में राजस्थान की विधायिका में महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के आधार पर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति के अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। जब हम राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि भारत के संपूर्ण इतिहास में राजस्थान की वीरांगनाओं का स्थान अद्वितीय रहा है। रानी पदमिनी, कर्मवती, मीरा, हाड़ी रानी, चारण कवयित्री सांधु, जैसी विदुषी महिलाएं व चौहान रानी झालनदेवी, रानी सोनल देवी जैसी प्रशासनिक महिलाऐं हुई हैं। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो अंजना देवी, नारायणी देवी, कालीबाई, रमा देवी आदि महिलाओं ने अपना सक्रिय योगदान दिया है।

शब्दकोशः महिला राजनीतिक सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता, विधानसभा, पंचायती राज।

प्रस्तावना

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी व उसमें आने वाली बाधाओं का आंकलन

हमारे देश की आधी आबादी महिला है लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है। राजस्थान में राजनीतिक उन्नति के बावजूद महिलाओं की संख्या राजनीति में पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। कई ऐसे कारण जिसके फलस्वरूप महिलाओं की राजनीति में कमी देखी जाती है जैसे :— पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा, टिकट वितरण में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को कम महत्व दिया जाना व उन्हें मजबूत उम्मीदवार के रूप में न देखना, महिलाओं को सुरक्षा संबंधी चिंताओं, घरेलू जिम्मेदारियां व सामाजिक बदनामी के डर से राजनीति व उससे संबंधित

कार्यों से दूर रखा जाता है। चुनाव लड़ने के लिए धनराशी की आवश्यकता की व्यवस्था नहीं हो पाना, महिला अशिक्षा होना आदि कई कारणों से महिलाओं राजनीति में महिला सहभागिता में कमी देखी जाती है।

हमारे देश के संविधान में संशोधन करके 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को पहले 1/3 (33प्रतिशत) व 2010 से 50प्रतिशत तक आरक्षण की बात कही गई जिससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा।

इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) लागू करके विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद की गई।

भारत देश व राजस्थान व अन्य राज्यों में महिलाओं ने राजनीति में उच्च पदों पर को धारण किया है जैसे भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व व प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री कमला बेनीवाल आदि महिलाओं ने राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी देकर सभी महिलाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।(www.orfonline.org)

महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक संदर्भ में

हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में देश की शासन सत्ता में लगभग आधी आबादी में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता होना उनके राजनीति सशक्तिकरण का आधार है। जीवन के सभी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका प्राचीन समय से ही रही है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्त्री व पुरुष को गाड़ी के दो पहियों की भांति माना गया है। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'मनुस्मृति' में कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जिस स्थान पर स्त्री की पूजा होती वहां देवताओं का निवास होता है। अर्थात जहां नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है वहां सुख, वैभव, समृद्धि का वास होता है। भारत देश में प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी व सम्मानजनक थी लेकिन गुप्तकाल (लगभग 300–550 ई.) के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में का पतन हुआ। मध्यकाल में भारत में बाहरी आक्रमण व रियासतों की सामंती व्यवस्था और पुरातनपंथी विचारों के चलते महिलाओं की स्थिति को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाने लगा।

यह तथ्य विचार करने योग्य है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अनुकूल थी। हमारे देश में माता सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी, मैत्रेयी, दमयन्ती जैसी श्रेष्ठ महिलाएं हुई।

ऐतिहासिक काल व मध्यकाल में महिलाओं की जो कमजोर स्थिति थी उस पर आधुनिक भारत में अध्ययन हुआ और सुधार की दिशा के लिए कदम बढ़ाये गये।

विश्व स्तर पर जो नारीवादी आंदोलन हुए उनका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। विश्व स्तर पर 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी की शुरुआत में मुख्य रूप से महिला मताधिकार, संपत्ति के अधिकार व महिला शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

भारत में नारीवादी आंदोलन महिलाओं के लिए समान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों को परिभाषित करने, समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आंदोलनों का एक समूह है। भारत में नारीवाद के इतिहास को हम 3 चरणों से समझ सकते हैं।

ISBN: 978-93-49468-67-2

- **पहला चरणः** 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब यूरोपीय उपनिवेशवादी भारत में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे।
- **दूसरा चरणः** 1915 से जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, गांधीजी के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने अपना योगदान दिया।
- **तीसरा चरणः** जब स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के कार्यस्थल पर समानता व राजनीतिक समानता से संबंधित अधिकारों में महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा।(hi.wikipedia.org)

19वीं शताब्दी न केवल भारतीय महिलाओं के लिए बल्कि राजस्थान की महिलाओं के लिए भी नई जागृति का काल रहा। भारत में इस समय में महिलाओं की सुधार और संबंधी कई कार्य महिलाओं की स्थिति में सुधार संबंधी कार्य प्रारंभ हुए।

इस काल में कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला और उनकी दशा को सुधारने के लिए कदम उठाये और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इस समय में महिलाओं के लिए कई संगठन बने, पुस्तकें लिखी गई और महिला जागरण के लिए प्रयास किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर जहां सावित्रीबाई फुले, एनी बिसेट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानाडे, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा, विजय लक्ष्मी पंडित, जैसी कई महान महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन व महिला राजनीतिक जागरण में अपनी भूमिका निभा रही थीं वहीं राजस्थान में जानकी देवी बजाज, इंदिरा देवी, नारायणी देवी वर्मा, विधा देवी, किशोरी देवी, धापी दादी आदि महिलाओं ने राजस्थान राजनीतिक जागरण में अपना बढ़–चढ़कर योगदान दिया। इन सभी महिलाओं का किसान आंदोलन, खादी ग्रामोद्योग, प्रजामंडल आंदोलन, समाज सुधार, हरिजन सुधार आदि सभी क्षेत्रों में अपने विचारों व इच्छा शक्ति से कई ऐसे कार्य किए जिससे राजस्थान की महिलाओं को संबल मिला और उन्होंने इनसे भी इनके कार्यों से प्रभावित होकर अपने कदम घर की चौखट सेबाहर निकाले व घूँघट प्रथा से हठकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया।

भारतीय संविधान के निर्माण में 'मातृशक्ति' का निम्नलिखित योगदान रहा है

भारत 1947 में आजाद हुआ तत्पश्चात भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया अक्सर लोग यह समझते हैं कि भारतीय संविधान केवल पुरुषों ने लिखा है लेकिन सत्य यह है कि संविधान ने सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। भारतीय संविधान मात्र वकीलों व पुरुषों द्वारा बनाया गया दस्तावेज नहीं हैबल्कि इसमें महिलाओं के संघर्षों, उनके विचारों व सपनों का भी समावेश है

389 सदस्य (शुरुआत में) वाली संविधान सभा में 15 महिलाओं ने लैंगिक समानता का आधार रखा। इन महिलाओं ने केवल महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर ही बात नहीं की बल्कि इन्होंने विदेश नीति, रियासतों के एकीकरण व मौलक अधिकार जैसे जटिल विषयों पर भी अपनी राय दी। इन महिलाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों व समुदायों का प्रतिनिधित्व भी किया है। ये महिलाएं निम्न थीं:

संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य

- एनी मस्कारेनीः के रल (त्रावणकोर) से जिन्होंने रियासतों के भारत में विलय पर जोर दिया।

ISBN: 978-93-49468-67-2

- अम्मू स्विामीनाथनः मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से।
- दक्षयाणी विलायुधनः एकमात्र दलितमहिला सदिस्य।
- जी. दुार्गाबाई देशमुखः 'आंध्र महिला सभा' की संस्थापक।
- बेम ऐजाज रसूलः संवधान सभा में एकमात्र मुस्लिममहिला सदिस्य।
- कमला चौधरीः एकप्रसिद्ध लेखिका व स्वतंत्रता सेनानी।
- हिंसा जीविराज मेहिताः संयुक्त राष्ट्र मानवाधकारों में '।सस डमद' को '।सस ीनउंद इमपदहे' करवाने वाली
- प्रमुख नेता।
- लीला रायः सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाली बंगाल की क्रांतकारी नेता।
- पूणर्णिमा बनजर्जीः उत्तर प्रदेश की क्रांतकारी महिला।
- मालती चौधरीः ओडिशा में किसानो व आदिवासयों के लए काम करने वाली नेता।
- रेणुका रायः बंगाल से महिलाओं के संपत्त संबंधी अधकारों के लए लड़ाई लड़ी।
- राजकुमारी अमृता कौर : भारत देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री
- विजया लक्ष्मी पंडित : संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष
- सरोजनी नायडू : नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहे जाने वाली प्रसिद्ध कवयित्री व नेता।
- सुचेता कृपलानी : भारत की पहली महिलामुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश)।

जब हमारा भारत देश 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बना तो इसे दुनिया का सबसे विस्तृत व लिखित संविधान कहा गया जिसमें निस्संदेह महिलायें भी शामिल रहीं जिसमें उन्हें भी राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया के हर स्तर पर भागीदारी के अधिकारों को बिना किसी भेदभाव के मान्यता मिली (जोशी, मंगलानी 2010)।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरणः शून्य से वर्तमान तक (विशेषतः राजस्थान विधायिका के संदर्भ में)

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी है – "लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार है।" यह परिभाषा लोकतंत्र का महत्व बताती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के सभी पहलुओं में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरकार के तीनों अंगों जिसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका कहा जाता है, उसमें व्यवस्थापिका का स्थान स्वाभाविक रूप से कार्यपालिका व न्यायपालिका के पहले आता है। इसके पीछे कारण यह है कि व्यवस्थापिका में नीति–निर्माण व कानून के कार्यों में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितनी स्वतंत्र व सक्रिय हैं, क्योंकि जनता में आधी आबादी महिलाओं की

ISBN: 978-93-49468-67-2

है। भारत के संविधान ने महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार दिए हैं, जिसने महिलाओं की भूमिका को मूकदर्शक से बदलकर एक सक्रिय नेतृत्व की ओर अग्रसर किया है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व न केवल लोकतंत्र के आदर्श को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि राजनीति के क्षेत्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी आवश्यक है। इसी कारण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विधायिका या व्यवस्थापिका की भूमिका सर्वोच्च मानी जाती है। इसी कारण विधायिका को 'लोकतंत्र का मंदिर', 'राष्ट्र का दर्पण' व 'जन–इच्छा की अभिव्यक्ति' आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। (कटारिया, 2017)

गांधी जी ने भारत देश में एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करनी चाही जिसमें समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का न केवल समान अधिकार प्राप्त हो बल्कि राज्य कुछ ऐसी सकारात्मक व्यवस्था करे जिससे महिलाएं भी पुरुषों के समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकें। गांधी जी के स्वप्न को मूर्त रूप देने का एक सफल प्रयास 1993 में किया गया जब 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करके पंचायतों व नगरीय निकायों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।

इस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जिसे राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010 में 110वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना था।

इसके द्वारा महिलाओं की भागीदारी से न केवल उनके आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान मिली। महिलाओं की केन्द्र व राज्यों की राजनीति में सहभागिता बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक 2023 (128वाँ संविधान संशोधन विधेयक) अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ C.A. 2023) पारित कर दिया जिसके तहत दो नए अनुच्छेद 330। व 332। जोड़े जायेंगें जिनके अंतर्गत क्रमशः लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। (बैरवा, 2024) इस अध्याय में हम सन् 2003 से 2023 तक की राजस्थान के विधानसभा चुनावों में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता का अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह राजनीति में समय के साथ महिलाओं की राजनीति में सक्रिय सहभागिता बढ़ी है।

वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं के लिए कोई पृथक आरक्षण का प्रावधान नहीं है।अतः महिला प्रतिनिधित्व पूर्णतः चुनावी प्रक्रिया व दलगत चयन पर निर्भर रहता है (Election Commission of India, 2023)

यद्यपि हमारे संविधान में विधानसभा के स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत (110वां संविधान संशोधन, 2010) तक महिला आरक्षण ने राज्य के राजनीतिक वातावरण में लैंगिक समानता को बढ़ाया है।

ISBN: 978-93-49468-67-2

तालिका 2: राजस्थान की मंत्रिपरिषद में महिला विधायक (2003–2023)

विधानसभा वर्ष	कुल सीटें	कुल महिला विधायक प्रतिशत	सत्तारूढ़ दल की विधायक	मुख्यमंत्री / उप–मुख्यमंत्री	कैबिनेट मंत्री	राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	राज्य मंत्री / संसदीय सचिव
2003	200	13 (6.5)	11	1	–	1	–
2008	200	29 (14.5)	14	–	–	3	2
2013	200	28 (14.0)	22	1	1	3	–
2018	200	27 (13.5)	15	–	2	1	–
2023	200	20 (10)	09	1	1	–	1

स्रोत : www.rajasthanassembly.nic.in

हमारे राजस्थान काएकीकरण 30 मार्च 1949 को सम्पन्न हुआ परंतु प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी, 1952 को हुआ। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव मार्च 1952 में सम्पन्न हुए। सन् 1952 में पहली बार स्वतंत्र भारत में राजस्थान की महिलाओं को राजनीतिक संस्थाओं को देखना संभव हुआ।

सन् 1952 से 2023 तक के हुए विधानसभा चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।

हमारे राजस्थान की विधानसभा एकसदनीय है। यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। यहां पर विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है। वर्तमान में विधायकों की संख्या 200 है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सन् 1952 में 160 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए। सीटों की संख्या 1957 में 160 से बढ़ाकर 176 कर दी गई। तत्पश्चात् यही संख्या 1967 में बढ़ाकर 184 तथा 1977 में सीटों की संख्या 200 कर दी गई। क्या अब 2026 तक सीटों की संख्या को 200 ही रखा जाएगा।

सन् 1952 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए उस समय राजस्थान में साक्षरता दर बहुत कम थी, विशेष तौर पर महिलाओं की, फिर भी उनमें मतदान को लेकर उत्साह था। लेकिन उस समय में महिलाओं का चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 1952 के प्रथम आम चुनाव में 160 सीटों के लिए चुनाव हुए जिसमें से केवल 4 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया। हालांकि 1952 के मुख्य चुनाव में कोई महिला जीत नहीं पाई लेकिन कुछ समय बाद हुए उपचुनावों (1953) में 2 महिलाओं ने जीत हासिल कर इतिहास रचा।

- **यशौदा देवी (बांसवाड़ा):**–1953 में हुए उपचुनाव में बांसवाड़ा से श्रीमती यशोदा देवी ने चुनाव जीता तथा वे राजस्थान की पहली महिला विधायक (डस्।) बनीं।
- **कमला बेनीवालः**–डॉ. कमला बेनीवाल ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1954 में आमेर (।) से उपचुनाव जीता। मात्र 27 वर्ष की आयु में वह विधायक व राजस्थान राज्य की पहली महिला मंत्री भी बनीं। श्रीमती कमला बेनीवाल इन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की मंत्रिपरिषद में 13 नवम्बर 1954 को पहली महिला उपमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ।

ISBN: 978-93-49468-67-2

इन्होंने 1954 से 2003 के बीच दूदू, आमेर व बैराठ निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 7 बार चुनाव जीता। श्रीमती कमला बेनीवाल अशोक गहलोत सरकार में गृह, शिक्षा व कृषि मंत्रालय जैसे सहित कई विभागों में मंत्री भी रही तथा इन्ही की सरकार में वर्ष 2003 में राजस्थान राज्य की पहली महिला उप–मुख्यमंत्री भी बनीं। इसके बाद सन् 2009–2014 तक त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम की राज्यपाल भी रही हैं।

इन महिलाओं ने आजादी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके महिलाओं के आदर्श प्रस्तुत किया साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।

इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या व प्रभाव दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जानी लगी। सन् (1980 – 2000) के काल में राजनीतिक दलों ने महिलाओं को भी टिकट देना शुरू किया और महिलाओं ने भी चुनावों में भाग लेकर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने व उसे बढ़ाने के लिएहमारे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया तथा भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33ः आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार गांधी जी ने पहले ही रख दिया था। उनका सपना 'ग्राम स्वराज्य' का था। उनका कहना था कि 'भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।' गांधीजी ने बताया था कि लोकतंत्र का प्रवाह ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। इन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए भारत देश में पंचायती राज की नींव रखी गई। पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से हुई। 2 ब्बज, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू किया गया। जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा किया गया।

राजस्थान में यह प्रणाली बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई। इन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर) की सिफारिश की। ये एक स्वतंत्रता सेनानी व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें 'पंचायती राज के वास्तुकार' के रूप में जाना गया तथा बाद में गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री (1963–1965) भी रहे।

राजस्थान सरकार ने पंचायतों में महिला आरक्षण को 33प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2010 में 110वें सं.सं. के माध्यम से 50प्रतिशत कर दिया। इसके पीछे राजस्थान सरकार का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक कार्यों में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना था।

इस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था ने राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया तथा बदलते समय के साथ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी समय के साथ महिलाओं के राजनीतिक प्रभाव व उनकी भागीदारी को बढ़ते हुए देखा गया।

इस अध्याय में हम 12वीं विधानसभा (2003) से लेकर 16वीं विधानसभा (2023) तक राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करेंगे।

ISBN: 978-93-49468-67-2

12वीं विधानसभा (2003) का चुनाव राजस्थान के इतिहास में 'मील का पत्थर' साबित हुआ क्योंकि इस वर्ष पहली बार राजस्थान राज्य की कमान एक महिला के हाथ में आई। श्रीमती वसुंधरा राजे राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनीं। इसी विधानसभा के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब तीन प्रमुख संवैधानिक पदों को महिलाओं ने सुशोभित कियाः राज्यपाल पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो कि बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति (2007–2012) भी बनीं, मुख्यमंत्री पद पर श्रीमती वसुंधरा राजे तथा विधानसभा अध्यक्ष पद पर श्रीमती सुमित्रा सिंह आसीन थीं। इस स्थिति ने राजस्थान राज्य की राजनीति में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदला। इससे यह साबित हुआ कि राजनीति अब केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं रहा, महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी देकर नए समाज व नए दृष्टिकोण का निर्माण कर सकती हैं।

13वीं विधानसभा (2008) में 29 महिला निर्वाचित होकर विधायक बनीं जो कि अब तक की सबसे अधिक महिला विधायक रहीं। जिसमें से सत्ता पक्ष कांग्रेस की 14 महिला विधायक थीं जिनमें से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंत्रिपरिषद में केवल 3 महिलाओं को राज्यमंत्री व दो महिला विधायकों ममता भूपेश व जाहिदा को संसदीय सचिव बनाया गया।

14वीं विधानसभा (2013) में कुल 28 निर्वाचित महिला विधायकों में से वसुंधरा राजे को राजस्थान राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में स्वयं के अलावा 4 अन्य महिला विधायकों को जिसमें से एक को कैबिनेट मंत्री व 3 अन्य को राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया। इनमें किरण माहेश्वरी कैबिनेट मंत्री, अनीता भदेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पुष्पेंद्र कुमारी राज्यमंत्री, दिया कुमारी विधायक रही और सुमित्रा सिंह जो कि 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष भी रहीं लेकिन 14वीं विधानसभा के दौरान भी भाजपा की वरिष्ठ महिला चेहरा रही। इस विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या सत्ताधारी दल भाजपा (ठश्रच) की महिला विधायकों की थी।

15वीं विधानसभा (2018–2023) के चुनावों में शुरुआत में 24 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। बाद में उपचुनावों के माध्यम से यह संख्या बढ़कर 27 तक पहुँच गई। इस विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों से महिला प्रतिनिधियों ने जीत हासिल करी।

इस विधानसभा में महिलाओं में मुख्य रूप से ममता भूपेश (अनुसूचित जाति) इन्होंने 'आई शक्ति' (IM Shakti) जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया। व शकुंतला रावत (सामान्य श्रेणी) ने उद्योग मंत्री के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु नीतियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। तथा अन्य महिला विधायक श्रीमती जाहिदा खान (अन्य पिछड़ा वर्ग) को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया के रूप में भूमिका निभाई।

इस विधानसभा में महिला विधायकों ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि सदन की कार्यवाही में भी सक्रिय रूप से भाग लिया जैसे शून्यकाल व प्रश्नकाल में महिला विधायकों विभिन्न विषयों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे वे विषय रहेः– शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास।

16वीं विधानसभा (2023 से निरंतर) के अंतर्गत कुल 20 महिला विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुँची। इनमें से 11 महिला विधायक सामान्य श्रेणी, 7 महिला विधायक अनुसूचित जाति व 2 महिला विधायक अनुसूचित जनजाति की रही। इन महिला विधायकों में से 3 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया। दीया कुमारी (सामान्य श्रेणी) को उपमुख्यमंत्री के

पद दिया गया के साथ विभिन्न विभागों की कैबिनेट मंत्री तथा मंजू बाघमार (अनुसूचित जाति) को राज्यमंत्री बनाया गया। इन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) व महिला व बाल विकास जैसे विभागों में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी प्रदान की गयी।

राजस्थान की महिला राजनीति व महिला सशक्तिकरण के संबंध में कई राजनीति विज्ञान विद्वानों व शोधकर्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं जैसे

जोया हसन (Zoya Hasan)

सुप्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान जोया हसन ने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने भारतीय राजनीति में लिंग व पहचान के प्रश्न पर बहुत कार्य किए हैं।

इनका मत है कि – ''राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भूमिका प्रतीकात्मकता (Tokenism) से 'सक्रिय एजेंसी' (Active Agency) की ओर बढ़ रही है। हालांकि राजनीतिक दल अभी भी उन्हें टिकट देने से हिचकिचाते हैं, लेकिन मतदाताओं के रूप में उनकी बढ़ती जागरूकता ने राज्य के चुनावी एजेंडे को बदल दिया है।''

संदर्भः Politics and State in India, सेज पब्लिकेशंस

क्रिस्टोफ जैफ्रलो (Christophe Jaffrelot)

क्रिस्टोफ जैफ्रलो ने भी राजस्थान के सामाजिक–राजनीतिक समीकरणों का गहरा अध्ययन किया है।

''राजस्थान की राजनीति में महिला सशक्तिकरण का एक विरोधाभासी पहलू यह है कि यहाँ पर महिलाएँ उच्च पदों (जैसे मुख्यमंत्री या राज्यपाल) पर तो'' पहुँची हैं, लेकिन यह सफलता अभी तक पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की आम महिला के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो पाई है।''

संदर्भः India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North Indiaa, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।

डॉ. पी.सी. माथुर (Dr. P.C. Mathur)

राजस्थान की राजनीति के विशेषज्ञ रहे डॉ. माथुर ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी की हैः

''राजस्थान में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण 'घूँघट से पंचायत' तक का सफर है। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो ग्रामीण राजस्थान के शक्ति समीकरणों को पुनः परिभाषित कर रही है।''

संदर्भः Social Profile of Rajasthan, जैन प्रकाशन मंदिर

महिलाओं के राजनीति में कठिनाइयाँ व उनके समाधान हेतु सुझाव

बाधक तत्व

हमारे देश में समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं को बचपन से ही वो अवसर व सुविधाएँ नहीं मिल पाती है जो की पुरुषों को दी जाती हैं। सामान्यतः पितृसत्तात्मक समाज की यह धारणा होती है कि महिलाओं को शिक्षा लेकर क्या करना है घर का काम–काज तो बिना शिक्षित हुए

भी करा जा सकता है। इन्हीं सभी विचारों के कारण लैंगिक असमानता पाई जाती है। बिना शिक्षा के महिलाएँ अपने अधिकारों को नहीं जान पाती है और घर की चाहर दीवारी तक ही सीमित रह जाती हैं। समय के साथ सोच में परिवर्तन से इस स्थिति को बदला गया है। लेकिन आज महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ी है लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के मुकाबले अभी बहुत कम है।

इसका एक अन्य कारण 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' की कार्यप्रणाली भी है जिसमें महिला चुनाव तो जीत जाती है लेकिन बैठकों व प्रशासनिक कार्यों में उसका पति (सरपंच पति) ही शामिल होता है इस कारण महिला राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बना पाती है।

आर्थिक निर्भरता भी सामने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक मुख्य बाधक तत्व है। चुनाव लड़ने के लिए एक भारी धनराशि की आवश्यकता होती है जिस कारण उन्हें पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता है।

घरेलू जिम्मेदारियां भी महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कुछ करने से रोकती हैं क्योंकि हमारे समाज में यह समझा जाता है कि महिलाएं अगर बाहर जाकर काम भी करती हैं तो वह घर–परिवार, बच्चों व बुजुर्गों की पूरी जिम्मेदारी भी अकेली निभाएं। यह महिलाओं के लिए 'दोहरी ड्यूटी' जैसी व्यवस्था है इसी कारण महिलाएं हार मान लेती हैं और स्वयं के लिए कदम उठाने से डरती हैं।

महिला सुरक्षा व चरित्र हनन का भयः– चुनाव के समय महिलाएं स्वाभाविक रूप से अहिंसक व शांत होती हैं। चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा व असुरक्षित माहौल के कारण महिलाओं के परिवार वाले उन्हें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने से रोकते हैं।

सुझाव

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आधारस्तम्भ है। इसी कारण अगर महिलाओं को भी पुरुषों के समान सशक्त बनाना है तो उन्हें भी शिक्षित करना अनिवार्य होगा। शिक्षा ही महिला सशक्तिकरण का कारण बनेगी। शिक्षा से ही महिलाएँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। एक शिक्षित महिला ही सशक्त परिवार, समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

भारतीय संविधान में, लैंगिक समानता की बात करी गई है। अतः हमें उन अधिकारों को संरक्षित करते हुए उनके लिए अभिशाप मानी जाने वाली लैंगिक असमानता, बाल विवाह, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था व दहेज जैसी कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा।

राजस्थान की राजनीति में महिला सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी पर कई विद्वानों ने अपने सुझाव दिए हैं जैसे –

डॉ. बी.के. नागला (Socio-Political perspective)

डॉ. नागला ने राजस्थान के सामाजिक ढांचे पर व्यापक कार्य किया है। उनके अनुसार राजस्थान की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी होनी चाहिए।

सुझाव

"पितृसत्तात्मक संरचनाओं का विखंडन"। नागला का तर्क है कि जब तक पारिवारिक स्तर पर शक्ति का संतुलन नहीं बदलता, तब तक सार्वजनिक जीवन में महिला सशक्तिकरण अधूरा है।

संदर्भः Nagla, B. K."Gender and Society in Rajasthan", Rawat Publications.

डॉ. स्टेफनी टेडबोट–जमीनी स्तर का सशक्तिकरण

स्टेफनी ने राजस्थान की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर शोध किया है। उन्होंने 'प्रॉक्सी पॉलिटिक्स' (पति–प्रधान राजनीति) के विरुद्ध सुझाव दिए हैं।

सुझाव : "स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया"। उन्होंने सुझाव दिया है कि महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक शब्दावली और बजट प्रक्रियाओं का स्वतंत्र ज्ञान होना चाहिए ताकि वे मध्यस्थों (बिचौलियों) पर निर्भर न रहें।

संदर्भः Tawat, S.,"Women in Panchayati Raj: A Study of Rajasthan", Academic Press.

निष्कर्ष

राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य का अगर हम विश्लेषण करें तो हमने पाया कि प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में संख्यात्मक परिवर्तन के साथ–साथ गुणात्मक रूप से भी परिवर्तन देखने को मिला है अर्थात महिलाओं का राजनीति में सशक्तिकरण सुदृढ़ हुआ है। यद्यपि शुरुआती दशकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था किंतु समकालीन राजनीति में देखा जाए तो राजस्थान की महिलाओं ने 'घूँघट' की मर्यादा से 'विधानसभा की दहलीज' का सफर अपने संघर्ष व योग्यता के कारण तय किया है।

किंतु इसमें अभी भी सुई (सुनिश्चितता) है। राजस्थान ने देश को पहली महिला राष्ट्रपति व स्वयं को पहली महिला मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष देकर यह दिखाया है कि राजस्थान की महिलाएं उच्च पदों को संभालने में भी पूर्णतः योग्य हैं।

राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज में 50प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया है। 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम जैसे प्रयासों ने राजस्थान की राजनीति में महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए हैं।

सभी उपलब्धियों के बावजूद हमें अभी भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाना होगा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। अतः यह कह सकते हैं कि विधायिकाओं में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व पहले की अपेक्षा संतोषजनक तो है किंतु अभी भी एक–तिहाई सीटों के आरक्षण की कल्पना से काफी दूर है, अतः उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु सकारात्मक प्रयास करना अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. hi.wikipedia.org
2. www.orfonline.org
3. www.rajasthanassembly.nic.in
4. Election Commission of India, 2023

5. जोशी, आर. पी., मंगलानी, रूपा (2010), भारत में पंचायतीराज, जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी
6. कटारिया, सुरेंद्र(2017), ''महिला सशक्तिकरण एवं विधायिका'', विधान बोधिनी, जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, अंक 1–2
7. बैरवा, शशिकांत (2024), ''विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक सशक्तिकरणः एक विश्लेषण अध्ययन (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)'', Rajasthan Journal of Sociology, Vol 26
8. Nagla, B. K."Gender and Society in Rajasthan", Rawat Publications.
9. Tawat, S.,"Women in Panchayati Raj: A Study of Rajasthan", Academic Press.
10. Politics and State in India, सेज पब्लिकेशन
11. India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North Indiaa, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. Social Profile of Rajasthan, जैन प्रकाशन मंदिर

☯☯☯